राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2721, 2722, 2723, 2724,2725, 2726, 2727, 2728,2729,2730, 2731, 2732, 2733 व 2734/2016/जयपुर

उनवान : मैसर्स सिनेपोलिस इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम
(1) अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर
(2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/01/2017	**एकलपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यें चौदह अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 161 से 174/अपी.प्राधि-III/मनोरंजन कर/2016–17 में राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 13ए(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 03.11.2016 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 13बी के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, वा.क.वि, जयपुर के आदेश की अनुपालना में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 22.09.15 को मय टीम के सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा इन्टरनेट पोर्टल "Book My Show" एवं स्वयं के "Online ticket booking" के जरिये टिकिटों की ऑनलाईन बुकिंग की जाती है, जिस पर प्रति टिकिट अलग से राशि वसूल की जाती है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, सम्भाग–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) उक्त राशि पर अधिनियम की धारा 4(1) के तहत 30 प्रतिशत की दर से कर देयता मानते हुए आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.05.2016 को पारित करते हुए निम्न तालिका अनुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त करते हुए कर एवं ब्याज को यथावत रखा है, जिनकी वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु अधिनियम की धारा 13(बी) के तहत प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज एवं अपीलार्थी द्वारा चाहे गये स्थगन का विवरण निम्न तालिका अनुसार है :– **लगातार..............2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2721, 2722, 2723, 2724,2725, 2726, 2727, 2728,2729,2730, 2731, 2732, 2733 व 2734/2016/जयपुर

उनवान :

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22/12, 25
06.01.17

अपील संख्या	अवधि	आरोपित कर	ब्याज u/s 9A	शास्ति u/s 10(3)b	चाहा गया स्थगन
1	2	3	4	5	6
2721/16	अगस्त, 2014	55641	22535	111282	**78176**
2722/16	सितम्बर, 2014	40557	15614	81114	**56171**
2723/16	अक्टूबर, 2014	58992	21542	117984	**80534**
2724/16	नवम्बर, 2014	44226	15258	88452	**59484**
2725/16	दिसम्बर, 2014	27225	8848	54450	**36073**
2726/16	जनवरी, 2015	55436	16908	110872	**72344**
2727/16	फरवरी, 2015	60927	17364	121854	**78292**
2728/16	मार्च, 2015	46223	12249	92446	**58472**
2729/16	अप्रैल, 2015	121893	29864	243786	**151757**
2730/16	मई, 2015	170345	38328	340690	**208673**
2731/16	जून, 2015	170967	35049	341934	**206016**
2732/16	जुलाई, 2015	179895	33280	359790	**213175**
2733/16	अगस्त, 2015	141497	23347	282994	**164844**
2734/16	सितम्बर, 2015	105777	15338	211554	**121115**

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जे.एन. शर्मा द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र के समर्थन में कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारां अपील संख्या 1603 से 1616/2016/2016/जयपुर में आदेश दिनांक 22.07.2016 की छाया प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्रों के तथ्य तथा पारित आदेश दिनांक 22.07.2016 से पूर्णतः आच्छादित होने से उन्होंने उपरोक्त तालिका के कालम संख्या 6 में अंकित राशियों को स्थगित करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत तर्को का खण्डन करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, तथा अपील व स्थगन आधारों एवं उद्धरित निर्णय पर विचार किये जाने के उपरान्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए शेष वसूली योग्य मांग राशि, जो कि उपरोक्त तालिका के **कॉलम संख्या–6** में अंकित है, की वसूली पर इस

शर्त पर अग्रिम तारीख पेशी तक रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, पारित आदेश निष्प्रभावी हो जायेगा। अपील प्रकरण सुनवायी हेतु **दिनांक** 17.03.2017 एकलपीठ के समक्ष अजमेर में पेश हो तहत का रिकॉर्ड शीघ्र तलब हो।

आदेश सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य